तुरन्त/कोर्ट केस

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य
हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।

यादी क्रमांक के0डब्लयू0 22/115–2015 सी–1(4)
दिनांक, पचंकूला : 01/4/16

विषयः– **Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करना व सुनवाई हेतु निश्चित तिथि पर सुनवाई अटैन्ड करना सुनिश्चित करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक के0डब्लयू0 22/115–2015 सी–1(4) दिनांक 07.09.2015, 16.09.2015, 05.10.2015, 08.10.2015, 15.10.2015, 02.11.2015, 16.11.2015 व 01.12.2015 की निरन्तरता में।

सभी प्राचार्यों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करने हेतु जवाबदावा तैयार करके निजि स्तर पर विभागीय लीगल सैल से वैट करवाने उपरान्त महाधिवक्ता हरियाणा कार्यालय से वैट करवाकर माननीय न्यायालय में समय रहते दायर करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि विषयांकित मामले से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में सुनवाई हेतु निश्चित तिथि पर मामले की पूर्ण जानकारी रखने वाले आधिकारी द्वारा सुनवाई अटैन्ड करना सुनिश्चित करें।

मामले में किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।

उप निदेशक–1
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला